भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5691

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

**भारतीय न्यायिक सेवा के लिए प्रस्ताव**

**5691. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी क्या कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या विधि आयोग ने भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की सिफारिश की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्यान्वयन में क्या कठिनाइयां आ रही हैं ;

(ग) क्या सरकार के संज्ञान में आया है कि न्यायपालिका में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति के संबंध में शिकायतें हैं और यदि हां, तो इस मामले का समाधान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ; और

(घ) क्या सरकार का स्वतंत्र, पारदर्शी न्यायिक प्रणाली सुनिश्चित करने का विचार है और यदि हां, तो हमारी न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (घ) :** संविधान का अनुच्छेद 312, एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) की स्थापना का उपबंध करता है, जिसके अंतर्गत जिला न्यायाधीश से निम्नतर कोई पद नहीं होगा। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के मुद्दे पर पहले राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एफएनजेपीसी), जो जस्टिस शेट्टी आयोग के नाम से ज्ञात है, द्वारा विचार किया गया तथा सिफारिश की गई थी। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन की सिफारिश विधि आयोग द्वारा उसकी 14वीं रिपोर्ट (1958) में की गई थी। तत्पश्चात्, विधि आयोग ने उसकी 77वीं रिपोर्ट (1978) तथा उसकी 116वीं रिपोर्ट (1986) में सिफारिश की पुनरावृत्ति की थी।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के गठन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव सूत्रबद्ध किया गया था तथा उसे नवंबर, 2012 में सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। अप्रैल, 2013 में हुए मुख्यमंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में प्रस्ताव कार्यसूची की एक मद के रूप सम्मिलित किया गया था और यह विनिश्चय किया गया कि मुद्दे पर और विचार-विमर्श तथा मनन की आवश्यकता है। प्रस्ताव पर राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों से उनके विचारों की ईप्सा की गई। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर राज्य सरकारों के बीच तथा उच्च न्यायालयों के बीच राय पर मतभेद था।

जिला न्यायाधीशों के पद पर भर्ती तथा सभी स्तरों पर न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की चयन प्रक्रिया के पुनर्विलोकन में मदद के लिए न्यायिक सेवा आयोग के सृजन से संबंधित विषय, मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन की कार्यसूची में भी सम्मिलित किया गया था, जो 3 तथा 4 अप्रैल, 2015 को आयोजित हुआ था, जिसमें क्रमिक उच्च न्यायालयों पर खुले तौर पर यह छोड़ने का संकल्प लिया गया कि विद्यमान प्रणाली के भीतर वे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए रिक्तियों को त्वरित रूप से भरने हेतु समुचित पद्धतियां विकसित करें। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए प्रस्ताव के साथ उस पर उच्च न्यायालयों तथा राज्य सरकारों से उनके विचार भी प्राप्त हुए, जिन्हें 5 अप्रैल, 2015 को आयोजित हुए मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन की कार्यसूची में भी सम्मिलित किया गया था। तथापि, विषय में कोई प्रगति नहीं की गई।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के प्रस्ताव पर फिर से पात्रता, आयु, चयन मानदंड, अर्हता, आरक्षण आदि बिंदुओं पर विचार-विमर्श एक बैठक में किया गया, जिसकी अध्यक्षता तब 16 जनवरी, 2017 को विधि और न्याय मंत्री द्वारा राज्य विधि और न्याय मंत्री, भारत के महान्यायवादी, भारत के महासॉलिसिटर, न्याय विभाग, विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग के सचिवों की उपस्थिति में की गई थी। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना पर मार्च, 2017 में संसदीय परामर्शी समिति तथा 22.02.2021 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संसदीय समिति की बैठकों में भी विचार-विमर्श किया गया था।

30 अप्रैल, 2022 को आयोजित हुए मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन की कार्यसूची में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के मुद्दे को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया था। तथापि, उसे सम्मेलन की कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किया जा सका। मुख्य पणधारियों के बीच राय पर विद्यमान मतभेदों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं है।

न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति से संबंधित यदि कोई शिकायत/अभ्यावेदन प्राप्त होता है, यथास्थिति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अग्रेषित कर दी जाती है।

**********